न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 476 सन 2018
अनवान :–

1. मेहरचन्द पुत्र सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2 धर्मपाल पुत्र सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
3 महेन्द्र पुत्र सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
4 मदनलाल पुत्र सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
5 गुडडी पुत्री पुत्र सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
6 कलावती पुत्री पुत्र सोहनलाल उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
7 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चैनपुरा के खसरा न0 172/21.00 खसरा न0 189/2.06बीधा , खसरा न0 227/70.01बीधा , खसरा न0 333 की 18.00 बीधा , 337 की 10.07 बीधा खसरा न0 372 की 12.10 बीधा , खसरा न0 373 की 18.02 बीधा , खसरा न0 372 की 6.01 बीधा , खसरा न0 380 की 7.07 बीधा खसरा न0 418/334 की 7.00बीधा कुल 131.06 बीधा भूमि है एवं रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 9 की 38.08 बीधा खसरा न0 116 की 13.08 बीधा , कुल 51.15 बीधा भूमि वादी के दादा बुद्धराम के नाम से दर्ज थी।

वादीगण के दादा बुधर पुत्र रावता के देहान्त होने के बाद उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर वादी के पिता के हिस्से में रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 194/179 के खसरा न0 227/2 की 1.6060हैक , खसरा न0 333/2 की 0.4430हैक खसरा न0 337/1 की 2.2130हैक खसरा न0 372 /2 की 1.1370हैक खसरा न0 373/2 की 0.7070हैक खसरा न0 379/1 की 0.7080हैक खसरा न0 418/334 की 0.4300हैक एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 156/51 के खसरा न0 9/3 की 0.9780 हैक खसरा न0 116 की 3.3890हैक कुल 4.3670हैक भूमि प्राप्त हुई है।

उक्त भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसके कारण वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ,6 ने आपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से उनके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सर्मथन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा गया है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 194/179 के खसरा न0 227/2 की 1.6060हैक , खसरा न0 333/2 की 0.4430हैक खसरा न0 337/1 की 2.2130हैक खसरा न0 372/2 की 1.1370हैक खसरा न0 373/2 की 0.7070हैक खसरा न0 379/1 की 0.7080हैक खसरा न0 418/334 की 0.4300हैक एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 156/51 के खसरा न0 9/3 की 0.9780 हैक खसरा न0 116 की 3.3890हैक कुल 4.3670हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है अर्थात 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official